

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 25 (2) / लेखा / पीए / निकाशि / 2013 / 275

दिनांक 10/10/13

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (पुरुष एवं कन्या) /
क्षेत्रिय सहायक निदेशक
कॉलेज शिक्षा राज.
राजस्थान

विषय :- विभाग के अधीन महाविद्यालयों/कार्यालयों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिक के वेतन स्थिरीकरण एवं संशोधित स्थिरीकरण के लिए अधिकृत करने बाबत।

सन्दर्भ :- विभाग के पत्र क्रमांक एफ 25 () लेखा / पीए / निकाशि / 2012. 13 / 185 दिनांक 10.7.13, 499-509 दिनांक 13.9.13, 518 दिनांक 25.9.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेशों के क्रम में लेख है कि वित्त (नियम) विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 14 (1) एफडी/रूल्स/2013 दिनांक 6.4.2013 में समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण (संशोधित) दिनांक 1.1.2006 से किये जाने है। इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 185 दिनांक 10.7.2013 एवम 499-509 दिनांक 13.9.2013 व पत्र क्रमांक 518 दिनांक 25.9.13 के साथ साथ जिन महाविद्यालयों में नवपदोन्नत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 पर कार्यग्रहण कर लिया है को वेतन स्थिरीकरण के लिए अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेशों के अनुसार जिन शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों के न्यायालय के निर्णयानुसार स्थिरीकरण प्रकरण तथा RVERS सेवा, Take over संस्था से व 1.1.2006 से पूर्व के वेतन स्थिरीकरण निदेशालय स्तर से ही किये जाने है।

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

क्रमांक. एफ 25 (2) / लेखा / पीए / निकाशि / 2013 / 275
प्रतिलिपि :-

दिनांक 10.10.2013

✓ श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईड प्रभारी अपलोड करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर